

बाहरी त-ग लोक रक्षण में प्रयुक्त अथवा व आत्म
व्यय स्थिति में कर देना है अतः पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 25/05/22 को पेश हो

25/05/22

वादी एवं वकील वादी उप० नहीं। बार-बार
आवाज दिलायी गई। किन्तु कोई उप० नहीं
आया। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम
हजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जात
है। पत्रावली दाखिल दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)